महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सामान्य/24/2013/20844-20964 दिनांक : 01.08.2013

स्थाई आदेश संख्या : 06/2013

विषय :– कारागृहों पर बंदियों एवं जन सामान्य की सूचना के लिये प्रमुखता से प्रदर्शित की जाने वाली प्रमुख सूचनाएं।

कारागृह प्रशासन के संबंध में आगन्तुकों एवं बंदियों को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के लिये आवश्यक है। व्यवस्था से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन कर अधिकारों, सुधार के अवसरों एवं दायित्वों के प्रति बंदियों में जागरूकता बढ़ाने तथा नियमान्तर्गत कारागार प्रशासन–संचालन सुनिश्चित करने के लिये समस्त केन्द्रीय/जिला/उप कारागृहों में निर्धारित स्थानों पर निम्न सूचनायें प्रमुखता से प्रदर्शित की जायें :–

1. कारागार के बाहर
   - मुलाकात का समय, निर्धारित दिवस एवं प्रक्रिया गेट के बाहर एवं वी.एम.एस. काउन्टर के बाहर
   - केन्टीन सुविधा की वित्तीय सीमा तथा केन्टीन में उपलब्ध वस्तुएं एवं उनका मूल्य वी. एम.एस. काउण्टर के बाहर (कैन्टीन सुविधा संचालित होने पर)
   - गैर सरकारी दर्शक (एन.ओ.वी.) की सूची मय उनके टेलीफोन नं.
   - प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

2. कारागार के दोनों गेटों के मध्य
   - प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची
   - बंदी के अधिकार एवं कर्त्तव्य
   - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य पदार्थ की स्केल
   - कानूनी सहायता की उपलब्धता एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा धारा 436 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्यक्तिगत् बाण्ड पर रिहाई एवं धारा 436–ए के प्रावधानों के अन्तर्गत जमानत के अधिकार

(नोट :बंदियों के अधिकार, कर्तव्य, जेल अपराध एवं दण्ड से संबंधित प्रदर्शित की जाने वाली आवश्यक सूचनाओं की सामग्री तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न हैं।)

3. <u>कारागार के अन्दर 3 अथवा 4 प्रमुख स्थानों पर (यथा–कारागृह लंगर, अस्पताल, महा मुख्य प्रहरी कार्यालय, लाईब्रेरी के बाहर, मनोरंजन कक्ष)</u>

- प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची
- बंदियों के अधिकार एवं कर्तव्य
- कानूनी सहायता की उपलब्धता एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा धारा 436 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्यक्तिगत् बाण्ड पर रिहाई एवं धारा 436–ए के प्रावधानों के अन्तर्गत जमानत के अधिकार
- खाद्य पदार्थों की निर्धारित स्केल
- प्रत्येक सप्ताह का पूर्व निर्धारित मेनू (Menu)
- जेल अपराध एवं दण्ड़
- गत् तिमाही में प्रत्येक बंदी को दिये गये परिहार, तिमाही के अन्त तक बंदी के द्वारा कुल अर्जित परिहार, बंदी की सी.ओ., सी.एन.डब्ल्यू., खुला बंदी शिविर, स्थायी पैरोल की पात्रता की दिनांक अंकित करते हुए दण्डित बंदियों की सूची
  (नोट :बंदियों के अधिकार, कर्तव्य, जेल अपराध एवं दण्ड से संबंधित प्रदर्शित की जाने वाली आवश्यक सूचनाओं की सामग्री तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न हैं।)

4. <u>अन्य विशेष स्थानों पर</u>

- प्रत्येक वार्ड/बैरिक के बाहर क्षमता एवं निरूद्ध बंदियों की संख्या
- दंडित बंदी वार्ड में गत् तिमाही में प्रत्येक बंदी को दिये गये परिहार, तिमाही के अन्त तक बंदी के द्वारा कुल अर्जित परिहार, बंदी की सी.ओ., सी.एन.डब्ल्यू., खुला बंदी शिविर, स्थायी पैरोल की पात्रता की दिनांक अंकित करते हुए दण्डित बंदियों की सूची
- प्रत्येक वार्ड में कैन्टीन सामान की मूल्य सूची (केन्टीन–व्यवस्था होने पर)

सूचनायें जिनमें सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है उन्हें पेन्ट से दीवारों पर स्थायी रूप से अंकन किया जाये तथा नियमित रूप से बदलने वाली सूचनायें (यथा साप्ताहिक भोजन मेनू, बंदी क्षमता, कैन्टीन सामान की मूल्य सूची) स्पष्ट अक्षरों में बड़े अक्षरों में हस्तलिखित अथवा टाईप कर प्रदर्शित किया जाये। ऐसे स्थान जहॉ कि अनेक सूचनायें प्रदर्शित की जानी आवश्यक हैं वहॉ दीवार पर स्थायी नोटिस बोर्ड की व्यवस्था करें।

उक्त आदेश की अनुपालना उप महानिरीक्षक रेंज, अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों एवं पदेन एवं मनोनीत दर्शकों द्वारा कारागृह भ्रमण के दौरान भौतिक सत्यापन अपेक्षित है।

1/8/2013

संलग्न–उपरोक्तानुसार – 6

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
4. अधीक्षक (मुख्यालय) कारागार, जयपुर
5. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
6. समस्त उपाधीक्षक मुख्यालय कारागार, जयपुर
7. प्रभारी, युवां बाल बंदी सुधारगृह, जैतारण
8. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
9. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर
10. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर–स्थायी आदेश पंजिका में संधारण हेतु।
11. समस्त शाखाऐं, महानिदेशालय कारागार, जयपुर स्थापना शाखा
12. रक्षक पत्रावली

1/8/2013

(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

दण्डित बंदी अधिकार

1. आर्थिक रूप से सक्षम न होने पर निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अपील के लिये सरकारी सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार।
2. नियत समय पर निर्धारित माप–तौल–मात्रा व गुणवता का नाश्ता व भोजन एवं बर्तन–बिस्तर प्राप्त करना।
3. समय पर वांछित चिकित्सा–उपचार प्राप्त करना।
4. परिजनों से 15 दिवस में एक बार मुलाकात।
5. बंदी खाता खोलकर राशि जमा रखना।
6. नियत मात्रा में साबुन, तेल, दंत–मंजन, चप्पल आदि प्राप्त करना।
7. जेल कर्मियों द्वारा प्रताड़ना/दुर्व्यवहार पर उच्चाधिकारियों/ न्यायालयों को शिकायत करना।
8. पुरूष बंदियों को बाल कटवाने व दाढ़ी बनवाने का हक।
9. महिला बंदी को मासिक धर्म के समय यथोचित सुविधा प्राप्त करने का हक।
10. महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चे को पास में रखने तथा उनके लिये अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार।
11. श्रम के शोषण के विरूद्व अधिकार (जेलकर्मी निजी कार्य नहीं ले सकते।)
12. खेलकूद एवं मनोरजंन के साधनों का हक।
13. आवश्यकता पर जेल अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताने का हक।
14. पारिवारिक समस्या के लिये संबंधित अधिकारी यथा– जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन देने का हक।
15. उक्त अधिकारियों को आवेदन हेतु लेखन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार।
16. स्वयं के व्यय पर पढ़ने–लिखने हेतु लेखन सामग्री प्राप्ति का अधिकार।
17. दिया गया कार्य पूर्ण करने पर परिहार प्राप्त करने का हक।
18. फैक्ट्री/जेल सेवा में दिये गये कार्य से अतिरिक्त मात्रा में किये गये कार्य हेतु मजदूरी पाने का हक।
19. नियमित व आपात पैरोल/समय पूर्व रिहाई हेतु आवेदन करना।
20. निजी बंदी खाते में राशि न होने पर जेल से घर जाने हेतु किराया–भाड़ा व भोजन व्यय पाने का अधिकार आदि।

नियमित पैरोल का अधिकार

1. बंदी का आचरण उत्तम होने पर, दण्डावधि एक वर्ष से अधिक होने एवं परिहार सहित सजा 1/4 भाग पूर्ण होने पर पैरोल हेतु आवेदन किया जा सकता है।
2. पहला पैरोल 20 दिन, दूसरा 30 दिन, उसके बाद 40–40 दिन के पैरोल दिये जा सकते है।
3. प्रत्येक पैरोल पूर्व पैरोल में आचरण अच्छा होने पर दिया जाता है।
4. पैरोल से लौटने के बाद 11 माह पश्चात् ही अगले पैरोल के लिये आवेदन किया जा सकता है।
5. जेल में तीन पैरोल के दौरान आचरण अच्छा होने पर राज्य सरकार स्थाई पैरोल स्वीकृत कर सकती है।
6. विशेष परिस्थितियों में अति उत्तम आचरण वाले बंदी को बिना तीन पैरोल का लाभ प्राप्त किये भी स्थाई पैरोल दी जा सकती है।

आपात पैरोल का अधिकार

1. जेल में सजा भुगत रहे किसी कैदी के साथ कभी भी कोई पारिवारिक आकस्मिकता की स्थिति में आपात पैरोल देय होती है।
2. ऐसी आकस्मिकता कैदी के निकट रक्त एवं प्रथम संबंध रिश्तेदार की मृत्यु, गंभीर बीमारी अथवा विवाह जैसे काम, जिसमें कैदी अनुपस्थिति से रस्म पूर्ण न हो सकती हो, पर ही देय है।
3. 7 या 15 दिवस आपात पैरोल हेतु जेल अधीक्षक, जिला दण्डनायक अथवा जेल महानिदेशक को आवेदन किया जा सकता है।

बंदी खुले शिविर में स्थानान्तरण

1. जिस कैदी ने अपनी मूल सजा की एक तिहाई अवधि मय परिहार पूरी कर ली हो।
2. विवाहित कैदी ही सपरिवार खुले शिविर पर जाने योग्य है।
3. जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अधीन दण्डित ना हो।
4. जो जेल अथवा किसी तरह की न्यायिक अभिरक्षा से फरार न हुआ हो अथवा फरारी का प्रयास नहीं किया हो।
5. जिसे पांच वर्ष से अधिक अवधि हेतु दण्डित किया हो।
6. जो दो से अधिक प्रकरणों में दण्डित होकर आदतन अपराधी के रूप में कारावासी नहीं हो।
7. जिसका जेल में आचरण उत्तम रहा अर्थात, जिसे खुला बंदी शिविर पर भेजे जाने की सिफारिश की दिनांक से पूर्व दो वर्ष की अवधि में जेल दण्ड नहीं दिया गया हो।
8. जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो।
9. जो कैदी पूर्णत स्वस्थ हो अर्थात जिसके किसी तरह की शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकृति न हो।
10. जो निरूद्ध अथवा सिविल कैदी ना हो।
11. जिसे आवारागर्दी के प्रकरण में सजा नहीं दी गई हो।
12. जिसने जेल फैक्ट्री अथवा जेल सेवा में उसे दिया गया काम नियमित रूप से पूरा किया हो।

दण्डित बंदी कर्तव्य

1. जेल नियमों व अधिकारियों के आदेशों की पालना।
2. साफ–स्वच्छ रहना अर्थात अपने शरीर, कपड़ो, बिस्तरों, रहने के स्थान यथा बैरिक व वार्ड को स्वच्छ रखना।
3. जेल सम्पति को क्षति न पहुचांना व गंदा नहीं करना,।
4. अपना सामान दूसरे बंदी को नहीं देना तथा ना ही दूसरे बंदी का सामान लेना या चुराना।
5. प्रत्येक वस्तु की तलाशी देना तथा कोई वस्तु नहीं छिपाना।
6. जेलकर्मी या आगन्तुक के प्रति असम्मान नहीं दर्शाना तथा उनके प्रश्नों का सही उत्तर देना।
7. कोई झूठी शिकायत नहीं करना तथा ना ही झूठी शिकायत का पक्ष लेना।
8. किसी के प्रति असभ्य व अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना।
9. बिना सक्षम अनुमति/आदेश के अपना नियत स्थान नहीं छोड़ना।
10. सामान्यतः नियत समय व स्थान पर ही नित्य क्रियाओं से निवृत होना।
11. अन्य श्रेणी के बंदियों (महिला, सिविल, दण्डित या निरूद्व बंदी) के साथ मौखिक या लिखित सम्पर्क नहीं रखना।
12. जेल से प्राप्त भोजन का ही सदुपयोग करना, उसे न छिपाना, न अन्य को देना, न कोई मिलावट करना व न ही नष्ट करना।
13. जेल में प्राप्त बिस्तर–बर्तन का ही उपयोग करना।
14. स्वयं फरारी का प्रयास न करना, न ही किसी को फरारी में सहयोग करना तथा किसी के द्वारा फरारी के प्रयास या योजना की जानकारी हो तो तत्काल जेल प्रशासन को सूचित करना।
15. बिना अनुमति किसी वस्तु का स्वरूप न बिगाड़ना, न ही नयी वस्तु बनाना और न ही नष्ट करना।
16. स्वयं को चोट न पहुंचाना, न ही बीमार अक्षम होने का प्रयास करना।
17. किसी तरह की हिंसा/उपद्रव/अनुशासनहीनता का कारण नहीं बनना।
18. निषिद्व वस्तुओं को मांगने या प्रयोग करने का प्रयास न करना तथा अन्य बंदियों को ऐसा करने से रोकना
19. पूर्णतः अपनी गैंग के साथ जेल में नियत स्थान पर रहना।
20. आबंटित कार्य सर्तकता व मन लगाकर करना।
21. फैक्ट्री में बिना अनुमति कोई सामान न बनाना।
22. फैक्ट्री में कोई औजार व सामान न मिलाना या छिपाना तथा न ही नष्ट करना।
23. गैंग अथवा कार्य स्थल पर जेल अधिकारी व बंदी अधिकारी के निर्देश की पालना करना।

दण्डित बंदी जेल अपराध और जेल दण्ड

जेल अपराध

1. किसी तरह का आक्रमण या शक्ति का आपराधिक उपयोग।
2. किसी के प्रति अपमानजनक या धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग करना।
3. किसी के साथ अनैतिक, अभद्र या अनुचित व्यवहार करना।
4. नियत श्रम से जानबूझकर अक्षम बनना।
5. लगातार कार्य करने से इन्कार करना।
6. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना हथकड़ी, बेड़ी अथवा डण्डा बेड़ी को रगड़ना, काटना, बिगाड़ना या हटाना।
7. कठोर कारावासी कैदी द्वारा कार्य समय में जानबूझकर बेकार अथवा कार्य के प्रति उदासीन रहना।
8. कठोर कारावासी कैदी द्वारा नियत कार्य को बिगाड़ना या कुप्रबन्ध करना।
9. इरादतन जेल सम्पति को क्षतिग्रस्त करना।
10. हिस्ट्री टिकट, अभिलेख या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें बिगाड़ना।
11. प्रिजन रूल्स में निषिद्व वस्तुओं को पाना ,रखना या स्थानान्तरित करना।
12. रोग फैलाना।
13. किसी बंदी या जेल अधिकारी के विरूद्व झूठा आरोप लगाना।
14. जेल में कहीं आग लगने, फरारी या फरारी के प्रयास अथवा फरारी की तैयारी की योजना या षड्यन्त्र और किसी बंदी या अधिकारी पर आक्रमण या उसकी तैयारी की पूर्व जानकारी होते ही जानबूझकर न बताना या बताने से इन्कार करना।
15. फरारी का षड्यन्त्र रचना या फरारी में सहयोग करना भी जेल अपराध है।

कर्तव्य पालन नहीं करने या जेल अपराध करने पर देय जेल दण्ड

1. औपचारिक चैतावनी – जो जेल अधीक्षक द्वारा व्यक्तिशः बंदी को सम्बोधित करके दी जायेगी, जिसका अंकन दण्ड पुस्तिका व हिस्ट्री टिकट में किया जायेगा।
2. कैदी की बदलकर पूर्वापेक्षा अधिक कठोर काम पर लगाना।
3. गैर कठोर कारावासी बंदी अर्थातः साधारण कारावास के कैदी को कठोर श्रम वाले कार्य पर लगाना।
4. प्रिजन रूल में परिहार के अधीन देय कुछ विशेषाधिकार को एक निर्धारित अवधि के लिये बन्द कराना।
5. साधारण सूती वस्त्रों के स्थान पर जूट--टाट या अन्य किसी कठोर बुनावट वाले वैकल्पिक वस्त्रों को पहनना, जो तीन माह से अधिक न हो।
6. ऐसे ढंग एवं वजन तथा ऐसे तरीके व अवधि के लिये हथकड़ी लगाया जाना जो राज्य सरकार नियमों द्वारा सुनिश्चित की गई हो।
7. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न व वजन तथा विधि व अवधि के बेड़िया लगाया जाना।
8. किसी निश्चित अवधि के लिये पृथकवास में रखना जो तीन माह से अधिक न हो।
9. दाण्डिक खुराक – अर्थात बंदी के श्रम की प्रकृति के अनुसार वांछित मात्रा एवं विधि अनुसार प्रतिबंधित खुराक देना।
10. एकान्तवास – जिसकी अवधि एक बार में 14 दिन से अधिक न हो।

विचाराधीन बंदी अधिकार

1. निजी वकील न होने पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना
2. नियत समय पर निर्धारित माप–तौल–मात्र व गुणवता का नाश्ता व भोजन प्राप्त करना।
3. समय पर वांछित चिकित्सा–उपचार प्राप्त करना।
4. जेल में सीमित निर्धारित स्थान व समय में घूमना व व्यायाम करना।
5. परिजनों से 7 दिवस में एक बार मुलाकात।
6. बंदी खाता खोलकर राशि जमा रखना।
7. नियत मात्रा में साबुन, तेल, दंत–मंजन, चप्पल आदि प्राप्त करना।
8. निश्चित आवास–स्थान प्राप्त करना।
9. जेल कर्मियों द्वारा प्रताड़ना/दुर्व्यवहार पर उच्चाधिकारियों/ न्यायालयों को शिकायत करना।
10. पुरूष बंदियों को बाल कटवाने व दाढ़ी बनवाने का हक।
11. महिला बंदी को मासिक धर्म के समय यथोचित सुविधा प्राप्त करने का हक।
12. महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चे को पास में रखने तथा उनके लिये अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार।
13. श्रम के शोषण के विरूद्व अधिकार (जेलकर्मी निजी कार्य नहीं ले सकते।)
14. खेलकूद एवं मनोरजंन के साधनों का हक।
15. आवश्यकता पर जेल अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताने का हक।
16. पारिवारिक समस्या के लिये संबंधित अधिकारी यथा– जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन देने का हक।
17. उक्त अधिकारियों को आवेदन हेतु लेखन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार।
18. स्वयं के व्यय पर पढ़ने–लिखने हेतु लेखन सामग्री प्राप्ति का अधिकार।
19. निजी बंदी खाते में राशि न होने पर जेल से घर जाने हेतु किराया–भाड़ा व भोजन व्यय पाने का अधिकार आदि।

विचाराधीन बंदी कर्तव्य

1. जेल नियमों व अधिकारियों के आदेशों की पालना।
2. साफ–स्वच्छ रहना अर्थात अपने शरीर, कपड़ो, बिस्तरों, रहने के स्थान यथा बैरिक व वार्ड को स्वच्छ रखना।
3. जेल सम्पति को क्षति न पहुचांना व गंदा नहीं करना।
4. अपना सामान दूसरे बंदी को नहीं देना तथा ना ही दूसरे बंदी का सामान लेना या चुराना।
5. प्रत्येक वस्तु की तलाशी देना तथा कोई वस्तु नहीं छिपाना।
6. जेलकर्मी या आगन्तुक के प्रति असम्मान नहीं दर्शाना तथा उनके प्रश्नों का सही उत्तर देना।
7. कोई झूठी शिकायत नहीं करना तथा ना ही झूठी शिकायत का पक्ष लेना।
8. किसी के प्रति असभ्य व अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना।
9. बिना सक्षम अनुमति/आदेश के अपना नियत स्थान नहीं छोड़ना।
10. अन्य श्रेणी के बंदियों (महिला, सिविल, दण्डित या निरूद्व बंदी) के साथ मौखिक या लिखित सम्पर्क नहीं रखना।
11. जेल से प्राप्त भोजन का ही सदुपयोग करना, उसे न छिपाना, न अन्य को देना, न कोई मिलावट करना व न ही नष्ट करना।
12. स्वय फरारी का प्रयास न करना, न ही किसी को फरारी में सहयोग करना तथा किसी के द्वारा फरारी के प्रयास या योजना की जानकारी हो तो तत्काल जेल प्रशासन को सूचित करना।
13. बिना अनुमति किसी वस्तु का स्वरूप न बिगाड़ना, न ही नयी वस्तु बनाना और न ही नष्ट करना।
14. किसी तरह की हिंसा/उपद्रव/अनुशासनहीनता का कारण नहीं बनना।
15. निषिद्व वस्तुओं को मांगने या प्रयोग करने का प्रयास न करना तथा अन्य बंदियों को ऐसा करने से रोकना।

विचाराधीन बंदी जेल अपराध और जेल दण्ड

जेल अपराध

1. किसी तरह का आक्रमण या शक्ति का आपराधिक उपयोग।
2. किसी के प्रति अपमानजनक या धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग करना।
3. किसी के साथ अनैतिक, अभद्र या अनुचित व्यवहार करना।
4. इरादतन जेल सम्पति को क्षतिग्रस्त करना।
5. हिस्ट्री टिकट, अभिलेख या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें बिगाड़ना।
6. प्रिजन रूल्स में निषिद्व वस्तुओं को पाना ,रखना या स्थानान्तरित करना।
7. रोग फैलाना।
8. किसी बंदी या जेल अधिकारी के विरूद्व झूठा आरोप लगाना।
9. जेल में कहीं आग लगने, फरारी या फरारी के प्रयास अथवा फरारी की तैयारी की योजना या षड्यन्त्र और किसी बंदी या अधिकारी पर आक्रमण या उसकी तैयारी की पूर्व जानकारी होते ही जानबूझकर न बताना या बताने से इन्कार करना।
10. फरारी का षड्यन्त्र रचना या फरारी में सहयोग करना भी जेल अपराध है।

जेल दण्ड

1. औपचारिक चैतावनी – जो जेल अधीक्षक द्वारा व्यक्तिशः बंदी को सम्बोधित करके दी जायेगी, जिसका अंकन दण्ड पुस्तिका व हिस्ट्री टिकट में किया जायेगा।
2. मुलाकात अवधि का अन्तराल बढाना अथवा निश्चित समय के लिये मुलाकात बन्द किया जाना।
3. जेल अधीक्षक द्वारा दी गयी सुविधा या विशेषाधिकार को स्थायी या निर्धारित अवधि के लिये बन्द कराना।